

संख्या-5183 / 15-7-06-16(24)/2005

प्रेमक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रति शिक्षा, नई दिल्ली।

विज्ञा (7) अनुभाग

संज्ञक: दिनांक: 03 जनवरी, 2006

विषय :- स्वाध्याय जैन एकेडमी शिक्षा केन्द्र तीर्थ परिसर बड़ागाँव, बागपत को सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

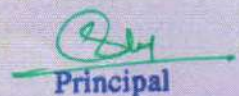
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की संबंधित सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण करण जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/केन्द्रीय आर्य समाज स्कूल सर्टीफिकेट इक्विवलेन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिस्तगत कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

—2—


Manager

Syadwad Jain Academy
Baragaon, Baghpat


Principal

Syadwad Jain Academy
Baragaon, Baghpat

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासकारीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निकृति का स्वाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आवेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंक्तिओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की झूठ या मिथ्याता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)

अनु सचिव ।

पुनर्संरचना एवं विनांक तालिका

प्रतिबंधित निम्नलिखित को पुनर्संरचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, बानसपुर ।
- 4- निरीक्षक, अगस्त भारतीय विद्यालय उमरा, लखनऊ ।
- 5- अध्यक्ष, स्वाध्याय जैन एकेडमी प्रिन्सिपल तीर्थ परिसर बारागोण, बानसपुर ।
- 6- कांड फाइल ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)

अनु सचिव ।


Manager
Syadwad Jain Academy
Baragaon, Baghpat


Principal
Syadwad Jain Academy
Baragaon, Baghpat